न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2019/00044

उनवान

1. श्री मनजी उर्फ मन्नालाल पिता कोयला गमार, निवासी—गांव टिण्डोरी, पटवार क्षेत्र डैया तहसील झाड़ोल (फ), उदयपुर।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवीलाल उर्फ देवा पिता हामीड़ा भील, निवासी—गांव टिण्डोरी, पटवार क्षेत्र डैया तहसील झाड़ोल (फ), उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 19-02-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम टिण्डोरी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 139 रकबा 0.76 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का उसके दादा के समय से आज तक कब्जा चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी मक्की, गेहू, चना, सोयाबीन आदि की फसल बोता व काटता चला आ रहा है, किन्तु आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा उक्त भूमि का विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 15.12.2005 को आवंटन कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि से दूर निवास करता है। आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 का मौके पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है एवं न ही कथित आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी की गयी। कथित भूमि पर प्रार्थी के तीन मकान, मवेशी बांधने का बाड़ा, पानी का होज आदि बने हुये है एवं विद्युत कनेक्शन ले रखा है जो वर्ष 2006 से भी अधिक पुराना है। कथित भूमि पर भारी लागत लगाकर प्रार्थी द्वारा उसे आबादान किया गया है। आवंटन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गयी है। उक्त आवंटन पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपना[illegible] मिथ्या एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से कराये जाने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का आवंटन [illegible] बाबत् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.19 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंग प्रसाद शर्मा ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर मामले में जवाब हेतु समय चाहा, किन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही किया। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब विपक्षी संख्या 1 अप्राप्त रहने से प्रकरण मे जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर से विवादित आराजी पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के संबंध मे मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2735 दिनांक 17.12.2019 से अवगत कराया कि राजस्व ग्राम टिण्डोरी की आराजी संख्या 139 रकबा 0.76 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड मे देवा पिता हामीरा भील सा.देह. खातेदार दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी पर मौतबिरान अनुसार वर्तमान मे मनजी गमार द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर सरसों की फसल बोई है एवं इसमे ईंटो का ढेर भी मौके पर स्थित है। प्रकरण मे मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली संख्या 1234/2005 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा पृथक पृथक समय मे बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण मे प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, प्रार्थी के नाम वर्ष 2006 से पूर्व का विद्युत कनेक्शन होना, आवंटन से पूर्व प्रोक्लेमेशन जारी न होना, ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाई की सूची तैयार न होना, कथित आवेदन पर आवेदन प्रस्तुतीकरण की कोई दिनांक अंकित न होना, कई कॉलम खाली होना, राजस्व कर्मचारीयों व पटवारी से मिलीभगत कर आवंटन करवाना, मौका देखे बिना नाजायज तरीके से आवंटन करवाना, विपक्षी का भूमिहीन काश्तकार नही होना, आवंटन नियमों की पालना न होना आदि आधारो पर उक्त आवंटन को खारिज करने की मांग की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, मौका रिपोर्ट, आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा टिण्डोरी, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 139 रकबा 0.76 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को कथित आवंटन किया गया है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकरन से स्पष्ट जाहिर है। आवंटन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने के उपरान्त ही देय होते है। खातेदारी अधिकार देय हो जाने के उपरान्त 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात उनका कब्जा आवंटन से पूर्व का होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.19 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

अवश्य अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप धारा 91 के नोटिस इत्यादि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होता, तो उन पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी विपक्षी संख्या 1 का जबरदस्ती कब्जा काश्त करना अवगत कराया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विद्युत बिल वर्ष 2007 की प्रति भी प्रकरण मे प्रस्तुत की है, किन्तु यह स्पष्ट है कि विद्युत बिल पर आराजी संख्या अंकित नही होते है एवं उक्त बिल भी आवंटन के उपरान्त का है जिसे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे ग्राह्य नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन न होना अवगत कराया है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन की परिभाषा मे न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने से ऐसे खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा राजस्व ग्राम टिण्डोरी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 139 रकबा 0.76 हेक्टेयर भूमि का विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावाधानानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.19 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested